



न्यायालय माननीय राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालि

प्रकरण क्रमांक /2017(विविध) विधि-9072-4-17

पुत्री व श्री वास्तवें
3-4-17
विकास अधिकारी
3-4-17

छोटे पुत्र वजीर बक्श मुस्लमान
निवासी ग्राम रेहदा तहसील चितरंगी
जिला सीधी मध्यप्रदेश

---आवेदक

विरुद्ध

पारस पुत्र सुगनलाल बेसबार निवासी
ग्राम रेहदा तहसील चितरंगी जिला
सीधी मध्यप्रदेश

---अनावेदक

प्रार्थना पत्र वास्ते रेस्टोरेशन (पुनःस्थापना) किये जाने हेतु

माननीय महोदय ,

आवेदक निम्न प्रकार से विनम्र निवेदन करता है ।

1. यहकि, प्रकरण क्रमांक A 436/1/2005 छोटे विरुद्ध पारस में माननीय न्यायालय के समक्ष तारीख पेशी 28.03.17 नियत थी ।
2. यहकि, आवेदक एवं उसके अभिभाषक की अनुपस्थिति के कारण उक्त प्रकरण अदम पेरवी में निरस्त कर दिया गया है ।
3. यहकि, नियत दिनांक 28.03.17 को आवेदक के अभिभाषक अस्वस्थ हो जाने की वजह से नियत पेशी को हाज़िर नहीं हो पाए, इसलिए उक्त प्रकरण अदम पेरवी में खारिज कर दिया गया ।
4. यहकि, आवेदक को नियत पेशी पर उपस्थित होने का निर्देश आवेदक अधिवक्ता द्वारा नहीं दिया गया था, इसलिए वह भी नियत पेशी दिनांक को उपस्थित नहीं हुआ ।
5. यहकि, आवेदक के अधिवक्ता की नियत पेशी दिनांक की अनुपस्थिति सदभावना पर आधारित होने से स्वीकार किये जाने योग्य है ।

अतः प्रार्थना है कि आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मूल प्रकरण क्रमांक

A 436/1/2005 पुनःस्थापना किया जाकर प्रकरण में गुण दोषों पर निराकरण किया जावे ।

दिनांक- 3/04/17

प्रार्थी

छोटे पुत्र वजीर बक्श मुस्लमान

